

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक:- प.2(9193)सूप्रौ/संस्था/2020/ML-1571-2023

जयपुर, दिनांक 2-2-2023

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य सेवा के अधोलिखित अधिकारियों को वर्ष 2023-24 में अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक से उन्हें राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र.सं	अधिकारी का नाम एवं पद (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	पदस्थापन विभाग	जन्म दिनांक	कार्यग्रहण दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक
1.	श्रवण कुमार कुमावत, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	महिला एवं बाल विकास विभाग (आई.सी.डी.एस.), जयपुर	01.06.1963	13.02.1991	31.05.2023
2.	सुशील परिहार, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	03.06.1963	30.04.1997	30.06.2023
3.	जीतेन्द्र सिंह सोढ़ा, प्रोग्रामर	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जोधपुर	05.06.1963	16.03.1994	30.06.2023
4.	सुनील छाबड़ा, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	12.09.1963	16.05.1988	30.09.2023
5.	घनश्याम दास सैनी, प्रोग्रामर	श्रम विभाग, जयपुर	13.11.1963	11.03.1994	30.11.2023
6.	हरि मोहन गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, जयपुर	28.01.1964	10.11.1986	31.01.2024
7.	ओम प्रकाश प्रजापत, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक)	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, जयपुर	25.01.1964	13.02.1991	31.01.2024
8.	सोनिया चतुर्वेदी, अतिरिक्त निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	18.02.1964	02.12.1989	29.02.2024
9.	अकील अहमद, प्रोग्रामर	मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	04.02.1964	28.03.1994	29.02.2024
10.	राम किशोर शर्मा पुत्र श्री जे.बी. शर्मा, तकनीकी निदेशक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, जयपुर	27.03.1964	16.05.1988	31.03.2024
11.	गोविन्द सहाय जैन, प्रोग्रामर	जिला कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, सवाईमाधोपुर	05.03.1964	19.03.1994	31.03.2024
12.	अनिल कुमार गोयल, प्रोग्रामर	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर	17.03.1964	21.03.1994	31.03.2024

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 वर्तमान में कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

राजस्थान सरकार सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कृपया सिविल रिट 8734/2016 डॉ. प्रभात कांवरिया बनाम राज्य सरकार व अन्य के संबंध में दिनांक 05.12.2016 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित अधिकारियों/कर्मचारियों के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से

—s.d.—
(आशीष गुप्ता)

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव/ आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज. जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, राज. जयपुर।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष. संबंधित विभाग।
5. उप निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग, संबंधित जिला।
6. उप निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, संबंधित जिला।
7. संबंधित अधिकारी।
8. लेखा शाखा, संबंधित विभाग।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

21

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव